प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 11 मार्च, 2025

विषय:- जिला कारागार, हमीरपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धनन्जय सिंह पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह, निवासी जनपद-हमीरपुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-34726/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-08.11.2024) दिनांक-19.11.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, हमीरपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धनन्जय सिंह पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह, मोराकांदर, थाना-ललपुरा, जनपद-हमीरपुर का निवासी है। 07 बीघा जमीन के बैनामा पर आपत्ति लगाने के कारण बन्दी ने दिनांक 25/26.02.2010 को अपने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कुल्हाड़ी, फरसा चाकू से वारकर व तमंचे से गोली मारकर 02 वयस्क एवं 04 नाबालिग बच्चे सहित कुल 06 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एसटीनं0-141/2010 में भा0द0वि0 की धारा-302/149,147,148,364/149,201/149 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-द्वितीय, हमीरपुर के आदेश दिनांक 30.04.2022 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, बंदी द्वारा दिनांक 09.09.2024 तक अपरिहार 14 वर्ष, 06 माह, 12 दिन तथा 15 वर्ष, 01 माह की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि0एल0जे0 1471 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने वाला, भविष्य में अपराध करने की अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि शासनादेश संख्या-1292/22-02-2012-19जी/2012, दिनांक 02 नवम्बर, 2012 में दी गई व्यवस्था के प्रकिया के अनुसार प्रोबेशन बोर्ड द्वारा सिद्धदोष बंदी धनन्जय सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। प्रकरण में 07 बीघा जमीन के बैनामा पर आपत्ति लगाने के कारण बन्दी ने दिनांक 25/26.02.2010 को अपने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कुल्हाड़ी, फरसा चाकू से वारकर व तमंचे से गोली मारकर 02 वयस्क एवं 04 नाबालिग बच्चे सहित कुल 06 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी धनन्जय सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है जिला कारागार, हमीरपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धनन्जय सिंह (बन्दी संख्या-44/2022) पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह, निवासी जनपद-हमीरपुर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-239/2025/2045(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, हमीरपुर।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-239/2025/2045/22-2-2024-17(606)/2024

दिनांक 11 मार्च, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, हमीरपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धनन्जय सिंह पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह, मोराकांदर, थाना-ललपुरा, जनपद-हमीरपुर का निवासी है। 07 बीघा जमीन के बैनामा पर आपत्ति लगाने के कारण बन्दी ने दिनांक 25/26.02.2010 को अपने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कुल्हाड़ी, फरसा चाकू से वारकर व तमंचे से गोली मारकर 02 वयस्क एवं 04 नाबालिग बच्चे सहित कुल 06 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एसटीनं0-141/2010 में भा0द0वि0 की धारा-302/149,147,148,364/149, 201/149 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ एफ0टी0सी0-द्वितीय, हमीरपुर के आदेश दिनांक 30.04.2022 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, बंदी द्वारा दिनांक 09.09.2024 तक अपरिहार 14 वर्ष, 06 माह, 12 दिन तथा 15 वर्ष, 01 माह की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि0एल0जे0 1471 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने वाला, भविष्य में अपराध करने की अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि शासनादेश संख्या-1292/22-02-2012-19जी/2012, दिनांक 02 नवम्बर, 2012 में दी गई व्यवस्था के प्रकिया के अनुसार प्रोबेशन बोर्ड द्वारा सिद्धदोष बंदी धनन्जय सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। प्रकरण में 07 बीघा जमीन के बैनामा पर आपत्ति लगाने के कारण बन्दी ने दिनांक 25/26.02.2010 को अपने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कुल्हाड़ी, फरसा चाकू से वारकर व तमंचे से गोली मारकर 02 वयस्क एवं 04 नाबालिग बच्चे सहित कुल 06 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी धनन्जय सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in